विशेष मुद्रा प्राधिकृति के अन्तर्गत रजिस्टर्ड-पत्र

संख्या / No. क्रमांक:- पेंशन प्राधि./आदेश/के- 85/2017-18/ 3617

144244066
17/1

सत्यमेव जयते

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग
कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हक.) राजस्थान
INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E), RAJASTHAN

दिनांक / Date 16-1-18

श्रीमान, प्रधान महालेखाकार(लेखा एवं हक),
आन्ध्र प्रदेश, सैफाबाद रोड,
हैदराबाद - 500004 -

विषय:- दिनांक 01.10.2016 से पूर्व सेवानिवृत/मृत राजस्थान राज्य के पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स की पेंशन/ पारिवारिक पेंशन में संशोधन बाबत |

प्रसंग:- वित्त (नियम) विभाग, जयपुर का ज्ञापन क्रमांक एफ 12(6) एफ.डी./रूल्स /2017 दिनांक 9.12.2017

महोदय,

इस कार्यालय के पत्र संख्या पेंशन प्राधिकृति/आदेश/के-85/17-18/3130-3164 दिनांक 01.12.2017 एवं 3299-3334 दिनांक 20.12.2017 के अनुक्रम में निदेशालय, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान जयपुर ने पत्रांक प.5(294)निपेवि/नियम/2017/05-75 H दिनांक 02.01.2018 के साथ प्राप्त राजस्थान सरकार,वित्त विभाग(रूल्स डिवीज़न) के ज्ञापन क्रमांक एफ. 12(6) एफ.डी./रूल्स /2017 दिनांक 09.12.2017 की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है | मुख्य बिंदु इस प्रकार है:-

(1) अधिसूचना दिनांक 30.10.2017 में राजस्थान राज्य पेंशनरो/पारिवारिक पेंशनरो की पेंशन में सातवे वेतन आयोग के अनुसार संशोधन का लाभ 01.10.2017 से दिया गयाथा | जिसे अब पेंशन संशोधन का लाभ 01.01.2016 से देय है |

(2) दिनांक 01.01.2016 से 30.09.2017 तक के मध्य सेवानिवृत/मृत कार्मिको के पेंशन प्रकरणो का संशोधन सम्बंधित विभाग से वेतन निर्धारण के पश्चात प्राप्त होने पर पेंशन विभाग के स्तर से जारी पेंशन परिलाभों की संशोधित अधिकृति के आधार पर किया जावेगा | बैंक अपने स्तर से पेंशन/पारिवारिक पेंशन का संशोधन करने से पूर्व यह सुनिश्चित करले की पेंशनर को पेंशन/पारिवारिक पेंशन का भुगतान छठवे वेतन आयोग के अनुसार किया जा रहा है अर्थात पेंशनर को पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर को देय महंगाई राहत 119 प्रतिशत की दर से भुगतान किया जा रहा है |

(3) दिनांक 01.01.2016 से 31.12.2016 तक की अवधि का पेंशन एरियर देय नहीं किया गया है |

(4) दिनांक 01.01.2017 से 30.09.2017 तक के एरियर का भुगतान 3 किस्तों में 30 प्रतिशत, 30 प्रतिशत एवं 40 प्रतिशत के अनुपात में अगले वर्ष क्रमश: दिनांक 01.04.2018,01.07.2018 एवं 01.10.2018 को किया जायेगा लेकिन किसी पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर की मृत्यु के मामले में पेंशन एरियर की पूरी राशि का भुगतान नकद में किया जायेगा |

5) न्यूनतम पेंशन/पारिवारिक पेंशन रुपए प्रतिमाह 8,850 /- की गयी है एवं दिनांक 01.01.2017 से देय किया गया है तथा 01.01.2017 से 30.09.2017 तक के एरियर का भुगतान तीन किस्तों में बिंदु संख्या 4 में वर्णित दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाना है |

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त आदेश अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत समस्त कोषाधिकारियों / पेंशन भुगतान अधिकारियो / बैंक शाखाओ को प्रसारित कर भुगतान हेतु निर्देशित करने का श्रम करे तथा प्रति इस कार्यालय को भी प्रेषित करने का श्रम करे |

O/o Pr. Accountant General (A&E)
AP & Telangana, Hyderabad
19-JAN-18
4998807
499807

संलग्न:- ज्ञापन दिनांक 09.12.2017 की प्रति

भवदीय,

वरिष्ठ लेखाधिकारी/पेंशन प्राधिकृति

PM-OG-TS

जनपथ, जयपुर-302005, दूरभाष:(0141) 2385431-39, फैक्स:(0141)2385263
Janpath, Jaipur- 302005, Tel.:(0141) 2385431-39, Fax : (0141) 2385263
ई मेल / E-Mail : agaerajasthan@cag.gov.in